

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 16-1761/2009/बी-1/दो,

भोपाल, दिनांक 14.02.2011

प्रति,

समस्त संभागायुक्त/
समस्त जिलादंडाधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषय:—आर्म्स डीलरशिप लायसेंस नवीनीकरण प्रक्रियों का सरलीकरण।

संदर्भ:—विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 16-1761/2009/बी-1/दो, दिनांक
11/01/2010

विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 16-1761/2009/बी-1/दो, दिनांक
16/07/2010 को शासन द्वारा नई शस्त्र दुकान एवं मौजूदा दुकानों के नवीनीकरण
के संबंध में विस्तृत मापदण्ड एवं नियम जारी किये गये थे जिसके परिप्रेक्ष्य में पूर्व में
विभाग द्वारा दिनांक 11.01.2010 को जारी नवीनीकरण प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन
करते हुये संशोधित प्रतिवेदन पत्रक जारी किया गया है।

2. दिनांक 31.12.2010 के बाद दुकानों के नवीनीकरण के न्यूनतम क्षेत्रफल का
मापदण्ड लागू हो गया है। अतः वर्ष 2011 के नवीनीकरण के प्रस्ताव संलग्न संशोधित
नवीनीकरण प्रतिवेदन पत्रक में भेजे जाये। साथ ही साथ निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग
द्वारा भेजे गए आदेश क्रमांक एफ 16-1761/2009/बी-1/दो दिनांक 19.1.2011 के
प्रारूप में संलग्न किया जाये।

संलग्न—उपरोक्तानुसार.

 14.2.11

(अनिल कुमार)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

**शस्त्र डीलर लायसेंस नवीनीकरण का
वर्ष 20 . . से 20 . . के लिये जांच प्रस्ताव**

1. आर्म्स डीलर / फर्म का नाम :
 2. डीलर का नाम :
 3. पता (टेलीफोन / मोबाईल नम्बर सहित) :
 4. अनुज्ञापति स्वीकृत का आदेश क्रमांक / दिनांक एवं स्वीकृत प्रपत्र का विवरण :
 5. अनुज्ञापति कब तक नवीनीकृत है। नवीकरण आदेश क्रमांक एवं दिनांक अंकित किया जाय। :
 6. आयुध अधिनियम 1962 के फार्म XII की शर्त-1(सी) के तहत अनुज्ञापतिधारी का व्यापार छः महीने से अनधिक लगातार अवधि के लिये बंद तो नहीं रहा है। :
- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 7. जिले में स्वीकृत आर्म्स डीलरों की संख्या | | जिले में स्वीकृत शस्त्र लायसेंस की कुल संख्या | |
|---|-------|---|-------|
- नोट- जिले में स्वीकृत आर्म्स डीलरों संलग्न प्रारूप में दी जाये**
8. अद्यतन लायसेंस नवीनीकरण हेतु जमा शुल्क चालान क्रमांक एवं दिनांक :
 9. संचालित दुकान का क्षेत्रफल(लम्बाई व चौड़ाई के साथ) तथा क्या यह दिनांक 16.07.2010 के निर्धारित मापदण्ड अनुसार है या नहीं ? :

10. शस्त्र मारम्मत (फार्म नं. 11) की विगत तीन वर्षों की जानकारी।

शस्त्र का प्रकार	लायसेंस में स्वीकृत स्टाक की मात्रा	प्रारम्भिक स्टॉक दि.....	विगत तीन वर्षों के मरम्मत की जानकारी			निरीक्षण दिनांक तक सुधारे गये कुल शस्त्रों की वापसी	निरीक्षण दिनांक को शेष स्टॉक
			20....	20..	20.....		
एम.एल.गन							
बी.एल.गन							
रायफल							
पि./रि.							
योग							

11. शस्त्र के विक्रय (फार्म नं. 12) की जानकारी—
(नोट— इसमें केवल अनुज्ञापिधारियों को की गई विक्रय की जानकारी देना है)

शस्त्र का प्रकार	स्वीकृत स्टाक की मात्रा		प्राथमिक स्टाक दि.....		3वर्षों के विक्रय की जानकारी						निरीक्षण अवधि में खरीदे गये		निरी. दि. को शेष स्टाक	
					20----		20----		20----					
	हथियार	कारतूस	हथियार	कारतूस	हथियार	कारतूस	हथियार	कारतूस	हथियार	कारतूस	हथियार	कारतूस	हथियार	कारतूस
1	4	5	6	7	10	11	12	13	8	9	10	11	12	13
एम.एल.गन														
बी.एल.गन														
रायफल														
पि०/रि०.														
योग														

नोट— 22 बोर राइफल की स्वीकृत एवं विक्रय की संख्या रायफल के साथ में शामिल करना है। इसी प्रकार 12 बोर शाटगन की संख्या को बी.एल.गन के साथ दर्शाना है।

12. सेफ कस्टडी (फार्म नं. 14) की जानकारी—

शस्त्र का प्रकार	स्वीकृत स्टाक की मात्रा		प्राथमिक स्टाक दि.....		3वर्षों के सेफ कस्टडी की जानकारी						निरी. अवधि सेफ कस्टडी की संख्या		निरी. दि. को शेष स्टाक	
					20----		20----		20----					
	हथियार	कारतूस	हथियार	कारतूस	हथियार	कारतूस	हथियार	कारतूस	हथियार	कारतूस	हथियार	कारतूस	हथियार	कारतूस
1	4	5	6	7	10	11	12	13	8	9	10	11	12	13
एम.एल.गन														
बी.एल.गन														
रायफल														
पि०/रि०.														
योग														

**शस्त्र डीलर लायसेंस नवीनीकरण का
वर्ष 20 . . से 20 . . के लिये जांच प्रस्ताव**

1. आर्म्स डीलर / फर्म का नाम :
2. डीलर का नाम :
3. पता (टेलीफोन/मोबाईल नम्बर सहित) :
4. अनुज्ञप्ति स्वीकृत का आदेश क्रमांक/दिनांक एवं स्वीकृत प्रपत्र का विवरण :
5. अनुज्ञप्ति कब तक नवीनीकृत है। नवीकरण आदेश क्रमांक एवं दिनांक अंकित किया जाय। :
6. आयुध अधिनियम 1962 के फार्म XII की शर्त-1(सी) के तहत अनुज्ञप्तिधारी का व्यापार छः महीने से अनधिक लगातार अवधि के लिये बंद तो नहीं रहा है। :
7.

जिले में स्वीकृत आर्म्स डीलरों की संख्या	जिले में स्वीकृत शस्त्र लायसेंस की कुल संख्या
नोट- जिले में स्वीकृत आर्म्स डीलरों संलग्न प्रारूप में दी जाये			
8. अद्यतन लायसेंस नवीनीकरण हेतु जमा शुल्क चालान क्रमांक एवं दिनांक :
9. संचालित दुकान का क्षेत्रफल(लम्बाई व चौड़ाई के साथ) तथा क्या यह दिनांक 16.07.2010 के निर्धारित मापदण्ड अनुसार है या नहीं ? :

10. शस्त्र मारम्मत (फार्म नं. 11) की विगत तीन वर्षों की जानकारी।

शस्त्र का प्रकार	लायसेंस में स्वीकृत स्टॉक की मात्रा	प्रारम्भिक स्टॉक दि.....	विगत तीन वर्षों के मरम्मत की जानकारी			निरीक्षण दिनांक तक सुधारे गये कुल शस्त्रों की वापसी	निरीक्षण दिनांक को शेष स्टॉक
			20....	20..	20.....		
एम.एल.गन							
बी.एल.गन							
रायफल							
पि./रि.							
योग							

13. गत वर्ष में किये निरीक्षणों का विवरण:-

क्र०	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षण कर्ता अधिकारी का नाम व पद	टिप्पणी
1			
2			
3			

14. पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा

15. अनियमितता यदि कोई परिलक्षित हुई हो तो उसका विवरण

16. आयुद्ध अधिनियम/ नियम व अन्य निर्देशों के पालन पर अभिमत।

17. दिनांक 16.07.2010 के मापदण्ड अनुरूप नवीनीकरण के संबंध में अनुशंसा

जिलादण्डाधिकारी के हस्ताक्षर
नाम, पदमुद्रा सहित

नोट- प्रोफार्मा के कालम न0-7 जिले में स्वीकृत आर्म्स डीलर को आर्म्स डीलर के रूप में स्वीकृत प्रपत्र प्रपत्र 11,12 एवं 14 में सलंगन की जाय।

Sl. No	आर्म्स डीलर का नाम	स्वीकृत प्रपत्र	गत तीन वर्षों में विक्रय का कुल योग प्रपत्र-12		गत तीन वर्षों में मरम्मत का कुल योग प्रपत्र-11		गत तीन वर्षों में सैफ कस्टडी का कुल योग प्रपत्र-14	
			हथियार	कारतूस	हथियार	हथियार	कारतूस	
1	2	3	4	5	4	4	5	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								